न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 36/2025

1 जीवनी पत्नि हूसैन खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

वादीया

बनाम

1 आलम खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 फुले खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

3 नानू खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

4 अकबर खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

5 खातून बानो पुत्री भोलू खॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर हाल पत्नि मनीर खॉ कायमखानी निवासी हामुसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू

6 अनार बानो पुत्री भोलू खॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर हाल पत्नि नवाब खॉ कायमखानी निवासी हामुसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू

7 बनारसी पुत्री भोलू खॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर हाल पत्नि सफी खॉ कायमखानी निवासी हामूसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू

8 अलामदो पुत्री भोलूखॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर हाल पत्नि मॉगीलाल जाति कायमखानी निवासी बड़ा बास वार्ड न. 6 लाड़नू जिला डिडवाना कुचामन

9 इकबाल खॉ पुत्र मैना (पुत्री मरेम पत्नि भोलू खॉ कायमखानी दड़ीबा) पुत्र नजीर खॉ कायमखानी निवासी राजास तहसील व जिला सीकर

10 महफूल बानो पुत्री मैना (पुत्री मरेम पत्नि भोलू खॉ कायमखानी दड़ीबा) पुत्री नजीर खॉ कायमखानी निवासी राजास तहसील व जिला सीकर हाल पत्नि सलीम खॉ वार्ड न. 8 गुलाब हाजी की कोठी, डूॅगलोद मुकन्दगढ़ नवलगढ़ जिला झून्झूनू

11 मदीना पुत्री मैना (पुत्री मरेम पत्नि भोलू खॉ कायमखानी दड़ीबा) नजीर खॉ कायमखानी निवासी राजास तहसील व जिला सीकर हाल पत्नि महबूब खॉ कायमखानी वार्ड न. 4, स्लामिया मदरसा के पास लक्ष्मणढ़ सीकर

12 उस्मान खान पुत्र मैना (पुत्री मरेम पत्नि भोलू खॉ कायमखानी दड़ीबा) पुत्र नजीर खॉ कायमखानी निवासी राजास तहसील व जिला सीकर

13 शमा बानो पुत्री मैना (पुत्री मरेम पत्नि भोलू खॉ कायमखानी दड़ीबा) पुत्र नजीर खॉ कायमखानी निवासी राजास तहसील व जिला सीकर हाल पत्नि श्री सरीफ मोहम्मद कायमखानी निवासी रसूलपुर कायमसर तहसील व जिला सीकर 331024

14 घीसूखॉ पुत्र भंवरू खॉ जाति कायमखानी निवासी कायमखानी बास, वार्ड न. 28 दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

लगातार.........2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

15 शबनम बानो पत्नि शौकत अली खॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर चूरू
16 रूपाराम पुत्र भंवरराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरासर तह. बीदासर जिला चूरू
17 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.
19 श्रीमान उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर जिला चूरू राज.

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए 188ए 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 11 व 13 ता 15 – अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 18 – पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 7/5/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 8.8778 हैक्टेयर (35–02 बीघा), खसरा नम्बर 200 रकबा 0.9232 हैक्टेयर (3–13 बीघा) तथा रोही बैनाथा जोगलिया में खेत खसरा नम्बर 611/189 रकबा 1.0497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.5176 छः हैक्टेयर कुल रकबा 10–03 बीघा व खसरा नम्बर 612/189 रकबा 0.5185 हैक्टेयर (02–01 बीघा) संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त मालिकाना अधिकारो की भूमि सम्पतियां है उपरोक्त वर्णित वादगत खेत खसरा नम्बर नम्बर 183 रकबा 8.8778 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.9232 हैक्टेयर कुल 38–15 बीघा तथा रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया में खेत खसरा नम्बर 611/189 रकबा 1.0497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.5176 हैक्टेयर कुल रकबा 10–03 बीघा व खसरा नम्बर 612/189 रकबा 0.5185 हैक्टेयर (02–01 बीघा) कुल 12–04 बीघा यानि कुल भूमि खेत सम्पति तादादी 50–19 बीघा वादीया एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज ससुर/पिता/नाना भंवरू खॉ व भोलू खॉ पुत्रगण महमूद खॉ के वक्त की भूमि सम्पति है वादीया के ससुर बड़े ससुर भंवरू खॉ एवं ससुर भोलूखॉ ने अपने जीवन काल में ही अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि सम्पतियों का बन्टवारा करते हूए अपने वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण को अलग अलग हिस्सेदारी हिस्सा पांती में करते हूए वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 व 14 के हिस्सा पांती अनुसार उनकी सीवें कायम करवा दी थी। वादगत खेत खसराजात की रेकॉर्डेड खातेदारान् प्रतिवादी सख्या 5 ता 8 खातून बानो, अनारबानो, बनारसी, अलामदो तथा प्रतिवादी सख्या 9 ता 13 की माता मैना द्वारा अपने पिता भोलू खॉ की सम्पति में बनने वाले वैधानिक हिस्सा पांती का हक परित्याग जरिये पंजीकृत हक तर्क लेख पत्र दिनांक 28.10.2010 के आधार पर सहखातेदारान् एवं अपने भाई सर्व श्री आलमअलीखॉ, हूसैनखॉ, फुलेखॉ, नानूखॉ, अकबर खॉ के पक्ष में ब. हि. बराबर किया जा चुका है तथा उक्त हक तर्क लेख पत्र में हक परित्यागकर्तान् द्वारा स्पश्ट घोशणा की गई है कि भविश्य में उपरोक्त खाते की भूमि सम्पति में भी हमारा कोई हक हिस्सा नहीं होगा यांनि हकतर्क कर्तान द्वारा भविश्य में माता मरेम के इन्तकाल के बाद भी उनके हिस्सा की भूमि में भी अपने समस्त प्रकार के मालिकाना और काबिजाना खातेदारी अधिकारो का परित्याग किया जा चुका है। वाद पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित खातेदारी

लगातार........3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कुल भूमि सम्पति 50–19 बीघा वादीया के बड़े ससुर भंवरू खॉ व ससुर भोलू खॉ के वक्त की संयुक्त स्वामित्व की भूमि सम्पति रही है जो भंवरू खॉ एवं भोलू खॉ के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने वारिसान में किये गये विभाजन अनुसार पृथक पृथक उपयोग उपभोग में ली जा रही है, भंवरू खॉ के स्वर्गवास के बाद भंवरू खॉ की पुत्रीयॉ द्वारा अपना हक हिस्सा अपने सगे भाई घीसूखॉ के पक्ष में परित्याग किया जा चुका है। वादगत कुल भूमि सम्पति 50–19 बीघा की दो भाईयों में हुई हिस्सा पांती अनुसार खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 35–02 बीघा कुल रकबा 38–15 बीघा में से उतरादी पाखी की 23–07.50 बीघा भूमि वादीया के बड़े ससुर भंवरू खॉ के हिस्सा पांती में यानि प्रतिवादी सख्या 14 घीसू खॉ के हिस्सा पांती में तथा रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 612/189 रकबा 2–01 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 14 घीसूखॉ के हिस्सा पांती में रखी गई जो प्रतिवादी सख्या 14 द्वारा अपनी आवश्यक जरूरतों के कारण प्रतिवादी सख्या 15 सबनम बानो को विक्रय की जा चुकी है वाद पत्र में प्रतिवादी सख्या 15 सबनम बानो उक्त 02–01 बीघा की वर्तमान रेकॉर्डेड खातेदारा होने के कारण पक्षकार संयोजित है रोही दड़ीबा की कुल भूमि 38–15 बीघा में से उतरादी पाखी की 23–07.50 बीघा प्रतिवादी सख्या 14 घीसू खॉ को उतरादी तरफ के खसरा नम्बर 183 रकबा 35–02 बीघा में से उतरादी तरफ की 23–07.50 बीघा हिस्सा पांती में की हुई है दोनो खसरों की कुल भूमि तादादी 38–15 बीघा में से बाकी भूमि 15–07.50 बीघा हिस्सा भूमि भोलू खॉ के वारिस वादीया के 4–00 बीघा हिस्सा पांती में (खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 183 में से 0–07बिश्वा), तथा प्रतिवादी सख्या 2 फुलेखॉ के 4–00 बीघा हिस्सा पांती में व बाकी 7–07.50 बीघा प्रतिवादी सख्या 4 अकबर खॉ के हिस्से पांती में की हुई है रोही दड़ीबा के वादगत खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 8.8778 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.9232 हैक्टेयर में रेकॉर्डेड खातेदारा मरेम पत्नि भोलूखॉ वादीया की सास है जिनका दिनांक 24.12.2012 को इन्तकाल हो चुका है जिनके समस्त वारिसान प्रकरण में पक्षकार संयोजित है खातेदारा मरेम के हिस्सा में से अपने हक हिस्सा भूमि की अपने भाईयों के पक्ष में करने का पंजीकृत हक तर्क पूर्व में करवाया जा चुका है इसलिए वादगत खसराजात की भूमि में प्रतिवादी सख्या 5 ता 13 का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा ना ही उपरोक्त वादगत खसराजात की भूमि में प्रतिवादी सख्या 5 ता 13 का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है प्रतिवादी सख्या 14 घीसू खॉ द्वारा अपनी हिस्सा भूमि में से कृशि कनेक्शन ट्रान्सफर करवाने की गरज से भूमि प्रतिवादी सख्या 16 रूपाराम के नाम करवाई हुई है रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया के वादगत खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 कुल रकबा 2.5673 हैक्टेयर (10–03 बीघा) की दर्ज खातेदारी वर्तमान कब्जा काश्त एवं पूर्वज भंवरू खॉ, भोलूखॉ के द्वारा किये गये विभाजन के मुकाबले अवैध एवं शून्य अंकित है उपरोक्त खसरों की भूमि में से 6–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा भूमि प्रतिवादी सख्या 3 नानू खॉ पुत्र भोलू खॉ के हिस्सापांती एवं क़ब्जा काश्त में तथा बाकी भूमि 4–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी सख्या 1 आलम खॉ के हिस्सापांती एवं कब्जा काश्त में है वादीया एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को राजकीय अनुदान प्राप्त करने में अनेको समस्याए आ रही है इस वास्ते वादीया ने प्रतिवादीगण से वादगत खसराजात की भूमि का हिस्सा पांती अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने का कई बार निवेदन किया, प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अतः में दिनांक 01/3/2025 को प्रतिवादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि के खातेदारी रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाने एवं विभाजन करवाने से मना कर दिया और कहा की वादगत भूमि में हमारा जैसे नाम चल रहा है उसी अनुसार हर खसरे में कब्जा करेगे, वादीया को उसके कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती की भूमि से बैदखल करेगे। यही वादीया का वाद हेतुक है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 वादीया को उपरोक्त विवादित खेत खसरान् में अपनी गलत और निराधार खातेदारी की आड़ में जबरन बैदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादीया को दिनांक

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

01–03–2025 को ऐलानिया धमकी दी है कि खेत हिस्सा से बैदखल करेगे इस कारण वादीया को वाद हैतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवष्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादीया वादगत भूमि की रेकॉर्डेड खातेदारा एवं काबिज काश्तकार है इस कारण वादीया को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी सख्या 18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है। वादगत भूमि रोही बैनाथा जोगलिया तथा दड़ीबा तहसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसराजात के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है। दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर चिर निशेधाज्ञा प्राप्ती है जो 10/– रूपये के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे रोही दड़ीबा के खेत खसरा नम्बर 183, 200 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वर्तमान अंकन मरेम पत्नि भोलूखॉ का नाम मृत्यू के कारण हटाया जाकर हक परित्याग, जुबानी भाई बन्ट, कब्जा काश्त अनुसार वादीया के खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 183 में से 0–07 बिश्वा कुल 4–00 बीघा व प्रतिवादी सख्या 2 फुले खॉ के खसरा नम्बर 183 में से 4–00 बीघां, प्रतिवादी सख्या 4 अकबर खॉ के 7–07.50 बीघा साढे सात बिश्वा व खसरा नम्बर 183 की उतरी तरफ की बाकी भूमि प्रतिवादी सख्या 14 घीसूखॉ के दर्ज की जाये। प्रतिवादी स. 14 के हिस्सा में से प्रतिवादी स. 16 के रेकार्डेड हिस्सा अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाये। बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 के वर्तमान अंकन को पुश्तैनी विभाजन एवं कब्जा काश्त के मुकाबले हटाया जाकर 6–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 3 नानू खॉ के नाम, 4–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के नाम दर्ज की जाये। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी की जाये। प्रतिवादीगण 1 ता 16 सोलह को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि विवादित खसरान् में वादीया के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 16 उपरोक्त विवादित खेतों में वादीया के हक हिस्सा की भूमि को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े। खर्चा मुकदमां दिलवाया जावें। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो हितकर वादीया को फरमाने की कृपा करें आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 20/03/2025 को वादीया के मिशल पैशी पर लेने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मिशल पेशी में ली गई, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 ता 15 की तरफ से श्री अख्तर सोलंकी ने वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया। नोटेरी से तस्दीक शुदा राजीनामा बाद जांच शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सख्या 12, 15 ता 17 व 19 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी स. 18 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई है प्रतिवादीगण की और से वाद में किसी प्रकार की मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, वादीया की और से अपने वाद को साबित करने के लिए वादीया श्रीमती जीवनी पी. डब्ल्यू.–1 के रूप में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बयान दिंनाक 24.04.2025 को लेखबद्ध किये गये। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता नम्बर 182 रोही दड़ीबा प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता नम्बर

लगातार.......5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

101 रोही दड़ीबा प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 076–2079 खाता नम्बर 136 रोही बैनाथा जोगलिया, प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता नम्बर 281 रोही बैनाथा जोगलिया प्रदर्श–4, पंजीकृत हकपरित्याग पत्र दिनांक 28.10.2010 प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादीया में स्वतन्त्र गवाह जमाल खॉ के नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर बयान लेखबद्ध कर शामिल मिशल किये गये। वादीया ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने वा साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई। उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई, वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया साररूप से वाद एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समर्ग अवलोकन से इस प्रकरण में यह प्रकट स्थिति है कि वाद पत्र में वर्णित वादगत भूमि सम्पति वादीया के ससुर व भोलू खॉ व भंवरू खॉ के वक्त की पुश्तैनी सम्पति है तथा वादीया के ससुर के वक्त से उपरोक्त वादगत भूमि सम्पति का जुबानी तौर पर विभाजन किया हुआ है पक्षकारान् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादगत कुल भूमि सम्पति 50–19 बीघा दो भाईयों में हुई हिस्सा पांती अनुसार खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 35–02 बीघा कुल रकबा 38–15 बीघा में से उतरादी पाखी की 23–07.50 तेइस बीघा साढ़े सात बिश्वा भूमि वादीया के बड़े ससुर भंवरू खॉ के हिस्सा पांती में यानि प्रतिवादी सख्या 14 घीसू खॉ के हिस्सा पांती में तथा रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 612/189 रकबा 2–01 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 14 घीसूखॉ के हिस्सा पांती में रखी गई जो प्रतिवादी सख्या 14 द्वारा अपनी आवश्यक जरूरतों के कारण प्रतिवादी सख्या 15 सबनम बानो को विकय की जा चुकी है वाद पत्र में प्रतिवादी सख्या 15 सबनम बानो उक्त 02–01 बीघा की वर्तमान रेकॉर्डेड खातेदारा होने के कारण पक्षकार संयोजित है रोही दड़ीबा की कुल भूमि 38–15 बीघा में से उतरादी पाखी की 23–07.50 बीघा साढ़े सात बिश्वा प्रतिवादी सख्या 14 घीसू खॉ को उतरादी तरफ के खसरा नम्बर 183 रकबा 35–02 बीघा में से उतरादी तरफ की 23–07.50 बीघा साढ़े सात बिश्वा हिस्सा पांती में की हुई है दोनो खसरों की कुल भूमि तादादी 38–15 बीघा में से बाकी भूमि 15–07.50 बीघा साढे सात बिश्वा हिस्सा भूमि भोलू खॉ के वारिस वादीया के 4–00 बीघा हिस्सा पांती में (खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 183 में से 0–07 बिश्वा), तथा प्रतिवादी सख्या 2 फुलेखॉ के 4–00 बीघा हिस्सा पांती में व 01–00 बीघा भूमि प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के हिस्सा में व बाकी 6–07.50 छः बीघा साढे सात बिश्वा प्रतिवादी सख्या 4 अकबर खॉ के हिस्से पांती में की हुई है, राजीनामा का गहनता से अवलोकन किया। वादगत सम्पति की रेकॉर्डेड खातेदारा मरेम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान पक्षकार संयोजित है।

फलतः वादगत खेतों की खातेदारी पूर्वजों के समय से चल रहे विभाजन एवं खातेदारा मरेम फौत होने जाने के मुकाबले शून्य दर्ज है और वादीया वादगत खेतों की खातेदारी में अपने हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारीणी पाई जाती है तथा वादीया विभाजन व चिर निषेधाज्ञा व वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी है। लिहाजा दावा वादीया डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश किया जाता है।

लगातार......6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

वादीया का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 183, 200 रोही दड़ीबा व खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 रोही बैनाथा जोगलिया का दर्ज वर्तमान गलत राजस्व अंकन हटाया जाकर हिस्सापांती एवं कब्जा काश्तनुसार वादीया के खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 183 में से 0–07 बिश्वा इस प्रकार कुल 4–00 बीघा व प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के खसरा नम्बर 183 में से 1–00 बीघा, प्रतिवादी सख्या 2 फुले खॉ के खसरा नम्बर 183 में से 4–00 बीघा, प्रतिवादी सख्या 4 अकबर खॉ के 6–07.50 छः बीघा साढे सात बिश्वा तथा खसंरा नम्बर 183 की उतरी तरफ की बाकी भूमि 23–7.50 तेइस बीघा साढे सात बिश्वा प्रतिवादी सख्या 14 घीसूखॉ के (22.375 बीघा) प्रतिवादी स. 16 रूपाराम का (1–00 बीघा) रेकॉर्डेड हिस्सा कायम रखते हूए दर्ज की जाये। बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 के वर्तमान अंकन को पुश्तैनी विभाजन, कब्जा काश्त, राजीनामा के मुकाबले हटाया जाकर 6–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 3 नानू खॉ के नाम व 4–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के नाम दर्ज की जाये। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी की जाये। प्रतिवादीगण 1 ता 16 सोलह को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है विवादित खसरान् में वादीया के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 16 उपरोक्त विवादित खेतों में वादीया के हक हिस्सा की भूमि को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरंण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े। भू धारक तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7 / 5 / 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व
इजलास..............पीठासीन अधिकारी............ **श्री अमीलाल यादव R.A.S.**

जीवनी बनाम आलम खॉ आदि

दावा बाबत ....**घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 36 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी **श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व श्री अख्तर सोलंकी, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ..... प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 183, 200 रोही दड़ीबा व खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 रोही बैनाथा जोगलिया का दर्ज वर्तमान गलत राजस्व अंकन हटाया जाकर हिस्सापांती एवं कब्जा काश्तनुसार वादीया के खसरा नम्बर 200 रकबा 3–13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 183 में से 0–07 बिश्वा इस प्रकार कुल 4–00 बीघा व प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के खसरा नम्बर 183 में से 1–00 बीघा, प्रतिवादी सख्या 2 फुले खॉ के खसरा नम्बर 183 में से 4–00 बीघा, प्रतिवादी सख्या 4 अकबर खॉ के 6–07.50 छः बीघा साढे सात बिश्वा तथा खसरा नम्बर 183 की उतरी तरफ की बाकी भूमि 23–7.50 तेइस बीघा साढे सात बिश्वा प्रतिवादी सख्या 14 घीसूखॉ के (22. 375 बीघा) प्रतिवादी स. 16 रूपाराम का (1–00 बीघा) रेकॉर्डेड हिस्सा कायम रखते हूए दर्ज की जाये। बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 611/189, 97 के वर्तमान अंकन को पुश्तैनी विभाजन, कब्जा काश्त, राजीनामा के मुकाबले हटाया जाकर 6–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 3 नानू खॉ के नाम व 4–01.50 बीघा डेढ़ बिश्वा प्रतिवादी स. 1 आलम खॉ के नाम दर्ज की जाये। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 18 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी की जाये। प्रतिवादीगण 1 ता 16 सोलह को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है विवादित खसरान् में वादीया के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 16 उपरोक्त विवादित खेतों में वादीया के हक हिस्सा की भूमि को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े। भू धारक तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

फीस ....मुबलिग.......................................बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....
......................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..7........माह..5...2025

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
दस्तख्त
बीदासर (चूरू)
ओहदा......................

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी